

## डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर(म0प्र0)



क्रमांक: डीसीडीसी / 115

विश्वविद्यालय कार्यालय,  
सागर, दिनांक 01.09.2011

—: प्रमाण पत्र :-

8

प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञानवीर महाविद्यालय, सागर इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी गई संबद्धता-निरंतरता सत्र 2011-12 में भी जारी है।

1. बी.ए.—आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2. बी.काम.—सभी अनिवार्य विषय / कम्प्यूटर एप्लीकेशन सहित
3. बी.एससी.—आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, कम्प्यूटर साइंस, बायोटेक्नालाजी एवं नाइकोबायालाजी,,
4. बी.सी.ए.
5. पी.जी.डी.सी.ए.
6. एम.सी.एम.
7. बी.बी.ए. (ऑनर्स)
8. एम.ए.पूर्वाह्न—हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं अर्थशास्त्र
9. एम.काम.पूर्वाह्न
10. एम.एससी.पूर्वाह्न— बायोटेक्नालॉजी एवं गणित

*Naw*

कुलसचिव  
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,  
सागर (म0प्र0)

प्रति,

प्राचार्य,  
ज्ञानवीर महाविद्यालय,  
सागर (म0प्र0)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश  
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक / 428 / आउशि / संबद्ध / 10 भोपाल, दिनांक-

प्रति,  
कुलसचिव,  
डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,  
सागर।

विषय:- मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(xii) एवं 26(एक)(v) एवं धारा 35(j) के अन्तर्गत अनुमति-अशासकीय ज्ञानवीर महाविद्यालय, गोपालगंज, सागर।  
संदर्भ:- संस्था का आवेदन पत्र दिनांक 28.5.2010

उपरोक्त विषयांतर्गत संस्था का नाम ज्ञानवीर सेवा समिति, सीमा नगर सागर द्वारा संचालित-अशासकीय, ज्ञानवीर महाविद्यालय, सागर को सत्र 2010-11 से निम्नानुसार कक्षाएं/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

विषय/पाठ्यक्रम

1. बी०बी०ए०-तृतीय
2. एम०एससी०-पूर्वार्द्ध-बायोटेक्नोलॉजी, गणित
3. एम०ए०-पूर्वार्द्ध-हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र
4. एम०काम०-पूर्वार्द्ध

- 2/ संस्था द्वारा संबद्धता हेतु आवेदन के पूर्व निम्न पूर्तियाँ कराई जावे :-  
अ) संस्था कालेज कोड 28 के अन्तर्गत नियुक्तियाँ आवश्यक रूप से कर ले ।
- 3/ विश्वविद्यालय संबद्धता देने के पूर्व उक्त बिन्दु की पूर्ति सुनिश्चित कर ले, अन्यथा यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
- 4/ उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।
- 5/ अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। संस्था द्वारा कोई असाध्य जानकारी देने की स्थिति में अनुमति स्वमेव अमान्य मानी जावेगी।
- 3/ संस्था को मार्गदर्शिका के बिन्दु 6.3(1) तथा 7(अ) के उपबिन्दु 7.1(3) अनुसार अंतर की राशि का मूल चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० जयश्री मिश्रा)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश  
भोपाल, दिनांक- 30-6-10

क्रमांक 1228 / 428 / आउशि / संबद्ध / 10

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर-सागर संभाग, जबलपुर।
3. प्राचार्य, अग्रणी शासकीय कला/वाणिज्य महाविद्यालय, सागर।
4. प्राचार्य, अशासकीय ज्ञानवीर महाविद्यालय, गोपालगंज सागर संस्था महाविद्यालय की वेबसाइट निर्मित कर जारी अनुमति एवं विश्वविद्यालय की संबद्धता अनिवार्य रूप से प्रकाशित करें।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

## डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म0प्र0)

क्रमांक: डीसीडीसी/2010-11/349



विश्वविद्यालय कार्यालय,  
सागर, दिनांक: 25.01.2011  
1-2-11

- :: अधिसूचना :: -

परिनियम क्र0 27 के प्रावधानों के अन्तर्गत विहित निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं के आधार पर विद्यापरिषद एवं कार्यपरिषद की ओर से कुलपति महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुक्रम में विहित कार्यवाही उपरान्त ज्ञानवीर महाविद्यालय, सागर को अधोलिखित पाठ्यक्रमों/विषयों में सत्र 2010-11 के लिए निम्न शर्तों के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

- 1- एम.ए. पूर्वाह्न - हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं अर्थशास्त्र
- 2- एम.कॉम. पूर्वाह्न -
- 3- एम.ए.स.सी. पूर्वाह्न - बायोटेक्नालॉजी एवं गणित
- 4- बी.बी.ए.(आनर्स) तृतीय वर्ष - सभी अनिवार्य विषय

शर्तें :-

1. महाविद्यालय को परिनियम 27 एवं 28 का पालन करना होगा तथा महाविद्यालय को परिनियम 28 के प्रावधानानुसार शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करना होगी।
2. महाविद्यालय को परिनियम क्र0 28 के प्रावधानानुसार शासी निकाय की नियमित बैठकें आयोजित करना होगी।
3. महाविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन की समय-समय पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति करना होगी तथा उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के साथ अगली कक्षा हेतु विश्वविद्यालय में सम्बद्धता निरन्तरता हेतु निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।

आदेशानुसार,

*Asau*

कुलसचिव

डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, ज्ञानवीर महाविद्यालय, सागर - महाविद्यालय की वेबसाइट निर्मित कर उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति एवं विश्वविद्यालय द्वारा दी गई अस्थायी सम्बद्धता अनिवार्य रूप से प्रकाशित करें
2. मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन, गवर्नमन्ट भवन भोपाल
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन, रायपुर, गवर्नमन्ट भवन भोपाल
4. संबंधित अग्रणी महाविद्यालय - शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर
5. संचालक, महाविद्यालयीन विकास परिषद
6. उपकुलसचिव परीक्षा (गोपनीय) / प्रशासन/विकास
7. सहायक कुलसचिव परीक्षा
8. शाखा प्रभारी - परीक्षा / नामांकन/पाठ्यक्रम
9. संबंधित कक्षा सहायक परीक्षा शाखा
10. कुलपति जी के निजी सचिव/कुलसचिव जी के निजी सहायक

*Asau*  
01/2/11

सहायक कुलसचिव

डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर